FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीताराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगैरह

किस्म मुकदमा—प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बर— 26/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
16.06.2021	प्रार्थी सीताराम की ओर से श्री अमन कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश किया। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 22.06.2021 को पेश हो।
22-6-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 2 की ओर से श्री शिम्भूदयाल सैनी एड० ने उपस्थित होकर जवाब प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी एवं सहमति लेख 50/- रुपये के स्टाम्प पत्र पर पेश करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने मैं कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। जवाब प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी व सहमति लेख शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी नं. 1 का नोटिस तामील होकर लौटा है। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते अवशेष तामील पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

1551/5021 R.R.
17-6-2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.14 10:09:53 IST
Reason: SelfAttested

06.07.2021 वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी मय प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 20.07.2021 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण में

सीताराम बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी 26/2021 अप्रार्थी नं. 1 व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर सहमति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर उभय पक्षकारान् के द्वारा सहमति प्रदान कर दिये जाने पर बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा 50/– रूपए के शपथ पत्र पर सहमति लेख पेश कर दिये जाने तथा भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 693/रीडर/2021 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा लिखित में जवाब प्रा. पत्र पेश कर दिये जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1596 रकबा 1.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके 3/8 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम व 1/2 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम अवस्थित है एंव शेष हिस्से की खातेदारी अन्य खातेदारान् के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान [illegible] की तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर [illegible] के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है [illegible] प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर कोई फसल [illegible] नहीं होकर उक्त भूमि खाली है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये

जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.14 10:09:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमान ...

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी — 26/2021	
	वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान व सीमाज्ञान बाबत अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा 50/— रूपए के शपथ पत्र पर सहमति लेख तथा भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 693/रीडर/2021 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा पेश जवाब प्रा. पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का मउ द्वारा दिनांक 10.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1596 रकबा 1.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/— रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/— रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/—रूपये कुल 2100/— रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का मउ द्वारा दिनांक 10.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (खातेदार में ... खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई ... आदेश प्रभावी नहीं हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर ... जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	1919/रीडर 7-7-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.14 10:09:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible]
	यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 06.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.14 10:09:53 IST
Reason: SelfAttested